

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या-5/आ०2-104/2018- 1753

पटना, दिनांक- 09/9/26

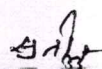
परिवादी श्री शिवेश कुमार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत एकरारनामा संख्या-F2-16/2008-09 एवं एकरारनामा संख्या-F2-18/2008-09 के तहत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में चापाकल अधिष्ठापन में अनियमितता बरतने से संबंधित परिवाद पत्र विभाग को समर्पित किया गया। प्राप्त परिवाद पत्र में अंकित बिन्दुओं की जाँच हेतु विभाग द्वारा एक त्रि-सदस्यीय समिति गठन की गयी।

02. त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन में कतिपय स्थलों पर Platform नहीं बनने, कतिपय स्थलों पर चापाकल एवं नलकूप अधिष्ठापित नहीं होने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। साथ ही प्रमंडल अन्तर्गत कतिपय विद्यालयों में अधिष्ठापित चापाकलों की गहराई माप-पुस्त में दर्ज गहराई से काफी भिन्न पाये जाने का तथ्य प्रतिवेदित किया गया।

03. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री श्रीनिवास सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-07, पटना के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-1274, दिनांक-23.06.2026 द्वारा उनसे बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

04. श्री सिंह के पत्रांक-शून्य, दिनांक-05.08.2026 द्वारा अपना बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया है। श्री सिंह द्वारा अपने लिखित अभिकथन में आरोपों के खण्डन हेतु कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई साक्ष्य अपने लिखित अभिकथन के साथ संलग्न किया गया है। विभाग द्वारा श्री सिंह से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त उनका बचाव का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

05. श्री श्रीनिवास सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-07, पटना से प्राप्त लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए उनके द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में बरती गयी लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिलता के आरोप के दृष्टिगत श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।



06. वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप पत्र के आधार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री प्रकाश कुमार, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

07. आरोपित श्री सिंह, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

08. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ श्री श्रीनिवास सिंह, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-07, पटना/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री प्रकाश कुमार, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को दी जाय।

ह०/-

(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ०2-104/2018-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव



ज्ञापांक-5/आ०2-104/2018-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/श्री प्रकाश कुमार, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/श्री श्रीनिवास सिंह, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-07, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोपरि।

ह०/-

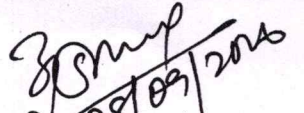
(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ०2-104/2018- 1753

पटना, दिनांक- 09/9/26

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव
08-9-26